कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

सहायता अनुभाग रूम नं 12 कलक्ट्रेट समा email Id-oicreliefswm@gmail.com

क्रमांकः– सहा./बाढ़/क्षति.परि/2025/5982 दिनांकः– 03.12.2025

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ /अत्यधिक वर्षा से जल संसाधन विभाग सवाई माधोपुर के क्षतिग्रस्त बांध/नहरों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनःस्थापना हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों व आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक एफ.8(8)आ.प्र. एवं सहा/बाढ/प्रस्ताव/2025/RAJKAJRef 19017621 दिनांक 27.11.2025 के अनुसार बाढ/अत्यधिक वर्षा से हुई क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु **कुल 09 कार्यो हेतु राशि रूपये 38.60 लाख (अडतीस लाख साठ हजार रूपये मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गई है, की पालना में निम्नांकित कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट मद 2245–02–122–02–01 के उपमद 21 से किया जावेगा।

क्रम संख्या	क्षतिग्रस्त स्कीम (बांध/नहर/अन्य) का नाम	क्षतिग्रस्त परिसम्पति का विवरण (लघु/मध्यम/वृहद परियोजना)	स्कीम का विवरण मय लोकेशन	नहर/बांध की लम्बाई	लघु परियोजना हेतु प्रति स्कीम 2.00 लाख एवं तटबंधो हेतु 60 हजार प्रति कि.मी.	कुल अनुमानित राशि (लाखों में)	जल संसाधन विभाग सवाई माधोपुर उपखण्ड का नाम	कार्य कारी संस्था/संस्था अधिकारी का नाम
1	भूलनवाला बांध	लघु	भूलनवाला बांध तहसील सवाईमाधोपुर से 12 किमी	बांध के डाउनस्ट्रीम में रेनकट	2	2	सवाई माधोपुर	अरूण शर्मा अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग स.मा
2	मुई बांध मुख्य नहर 9 किमी	लघु	मुई बांध तहसील सवाईमाधोपुर से 15 किमी	कैनाल बैंक क्षतिग्रस्त 9 किमी	0.6	5.4		
3	पॉचोलास बांध मुख्य नहर 4 किमी	लघु	पॉचोलास बांध तहसील सवाईमाधोपुर से 22 किमी	कैनाल बैंक क्षतिग्रस्त 4 किमी	0.6	2.4		
4	गलाई सागर बांध मुख्य नहर 10 किमी	लघु	गलाई सागर बांध की मुख्य नहर तहसील खण्डार	कैनाल बैंक क्षतिग्रस्त 10 किमी	0.6	6	खण्डार	
5	कोसरा छारेटा एमआईटी	लघु	कोसरा छारेटा एम आईटी तहसील खण्डार से 22 किमी दूर	कोसरा छारेटा एम आईटी पाल क्षतिग्रस्त	2	2		
6	पिपलदा एमआईटी	लघु	पिपलदा एम आईओ तहसील खण्डार से 13 किमी दूर	पिपलदा ए मआईटी पाल क्षतिग्रस्त	2	2		
7	अनियाला एमआईटी	लघु	अनियाला ए मआईटी तहसील खण्डार से 10 किमी दूर	अनियाला एमआईटी बांध पाल क्षतिग्रस्त	2	2		

RajKaj Ref No.: 19148566

eSign 1.0

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K a Ram
Designation : Colle r & District Magistrate
Date: 2025.12.0 5:22:34 IST
Reason: Approved

8	मानसरोवर बांध की मुख्य नहर 13 किमी	लघु	मध्यम	नहर के पटर में रेनकट	0.6	7.8		
9	मानसरोवर बांध की गण्डायता, सुखवास,बहरावण्डा माईनर, 15 किमी	लघु	मध्यम	नहर के पटर में रेनकट	0.6	9		
TOTAL						38.6		

1. स्वीकृत राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखानियमों, सा.नि.वित्तीय एवं लेखा नियमों एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. के दिशानिर्देशों तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।

2.स्वीकृत राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा निर्देश, तत्संबंधी नियम /निर्देश व निर्धारित प्रकिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

3.कार्यकारी एजेन्सी की यह पूरी जिम्मेदारी होगी कि वे एस.डी.आर.एफ. में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करे।

4.वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही मरम्मत कार्य प्रारंभ किये जावें। यदि बजट आवंटन से पूर्व कोई कार्य प्रारंभ कर लिया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित कार्यकारी ऐजेन्सी की होगी।

5.वे कार्य जो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड के तहत आते है उनके मरम्मत एसडीआरएफ से देय नही है।

6.स्वीकृत कार्यो को प्रारंभ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर –अंदर पूर्ण करना होगा।

7.यदि विभागीय बजट में संधारण एवं मरम्मत मद में कोई राशि उपलब्ध है तो उसके पूर्ण उपयोग के बाद ही एस.डी.आर.एफ. में स्वीकृत राशि का उपयोग किया जावेगा। उक्त आशय का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जावे।

8.कार्यो की तकनीकी स्वीकृति विभागीय नियमों के अनुसार जारी कर तकनीकी स्वीकृति एवं तकमीना की एक प्रति 3 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

9.तकनीकी स्वीकृति .प्राप्त होने के उपरांत ही कार्यो की वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी। वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ कराये जावे।

10. मरम्मत कार्यो का निरीक्षण भी उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किये जाने के उपरांत ही भुगतान किया जावेगा।

11. स्वीकृत कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने है व आंवटित राशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना है

12. तात्कालिक मरम्मत के कार्यों से संबंधित देनदरियां आगामी वित्तीय वर्ष में ले जाने पर उनका भुगतान कार्यकारी संस्था द्वारा स्वयं के बजट मद से किया जावेगा।

13. विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

14. इस आशय का प्रमाण–पत्र भिजवावें की प्रस्तावित नहरें/बांध का उपयोग सिंचाई/पेयजल कार्यों एंव जनसेवाओं के लिए निरंतर लिया जा रहा है।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

क्रमांकः– सहा./बाढ़/क्षति.परि/2025/ 5983-88

दिनांकः– 03.12.2025

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर।
3. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि तकनीकी स्वीकृति 3 दिवस में जारी की जाकर मय तकमीना इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।
4. उप जिला कलेक्टर, समस्त सवाई माधोपुर।
5. तहसीलदार समस्त, सवाई माधोपुर।
6. जिला जनसम्पर्क अधिकारी सवाई माधोपुर।

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K[illegible]a Ram
Designation : Colle[illegible]r & District Magistrate
Date: 2025.12.0[illegible] [illegible]5:22:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19148566
eSign 1.0

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांकः एफ.8(15)आ.प्र. एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2025/ जयपुर, दिनांक

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 198/2025-26

मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त **बांध/नहरों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरूत्थान हेतु जिला कलक्टर, **सवाई माधोपुर** से प्राप्त प्रस्ताव कमांक 3724 दिनांक 03.10.2025 के आधार पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के प्रावधान अनुसार जल संसाधन खण्ड, सवाई माधोपुर तह. ब्लॉक खण्डार के 07 कार्य हेतु राशि 28.80 लाख एवं जल संसाधन खण्ड, सवाई माधोपुर तह. ब्लॉक सवाई माधोपुर के 03 कार्य हेतु राशि 9.80 लाख **कुल 10 कार्यो हेतु राशि रूपयें 38.60 लाख (अक्षरे रूपयें अडतीस लाख साठ हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः-

1. स्वीकृतियां जारी करते समय राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मापदण्डों का अक्षरशः पालन किया जावेगा।
2. बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न किया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
3. जिला कलक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
4. जिला कलक्टर यह सन्तुष्टि कर लेवे कि प्रस्तावित नहरें/बांध का उपयोग सिंचाई/पेयजल कार्यों एवं जन सेवाओं के लिए निरन्तर लिया जा रहा है।
5. जिला कलक्टर यह प्रमाण पत्र संम्बन्धित विभाग से प्राप्त करें कि उनके पास उपलब्ध संधारण एवं मरम्मत मद में राशी का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. का उपयोग लिया जायेगा।
6. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Sh...li Kushwaha
Designation : Depu... Secretary To Government
Date: 2025.11.2... 2:26:54 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19017621
eSign 1.0

7. जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स. के अन्तर्गत Ordinary Repair &Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी कमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।

8. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

9. वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।

10. आवंटित बजट का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चत करें तथा शेष राशि विभाग को अविलम्ब समर्पित की जाए।

11. कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकि एवं वित्तिय स्वीकृतियां उपरान्त ही राशि का व्यय नियमानुसार किया जावे।

12. केवल तात्कालिक प्रकृति की मरम्मत एवं पुर्नरूत्थान के कार्य ही करवाये जावे, जो एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स में दिये गये प्रावधन अनुसार हो।

13. इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

14. उक्त उपखण्ड समिति के सदस्य द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का भौतिक निरीक्षण किये जाने के उपरान्त ही जल संसाधन विभाग के कार्यो की स्वीकृति जारी की जावें।

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 के निम्न बजट मद से किया जायेगा।

2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02– बाढ़, चक्रवात आदि।

122– खराब सिचाई तथा बाढ नियत्रंण संबंधी निर्माण कार्यो की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(02)– बाढ़ से प्रभावित खराब सिचाई एवं निर्माण हेतु सहायता

[01]– [बाढ़ से प्रभावित खराब सिचाई एवं निर्माण हेतु सहायता]

21–अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) (केन्द्रीय निधि 75 प्रतिशत)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत)

15. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा–निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Sh...li Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.11.2... 2:26:54 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19017621
eSign 1.0

16. बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का आहरण नहीं किया जावेगा।
17. कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात करवाये गये कार्यो का कार्य पूर्णताः प्रमाण–पत्र इस विभाग को प्रेषित करें।
18. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये सदैव खुले रहेंगे।

(शैफाली कुशवाहा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. जिला कलक्टर **सवाई माधोपुर** को प्रेषित कर लेख है कि **एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।**

   जल संसाधन खण्ड, सवाई माधोपुर तह. व ब्लॉक मलारना डूंगर के बांध/नहर मरम्मत के प्रस्तावों में अंकित कार्यो में वृहद सिंचाई परियोजना हेतु राशि की मांग की गयी है, उक्त कार्य नोर्म्स में अनुमत नहीं होने के कारण प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।
6. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
8. कोष कार्यालय, सवाई माधोपुर।

शासन उप सचिव

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.11.2[illegible] [illegible]2:26:54 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19017621
eSign 1.0